मु.नम्बर 40 / 2019 जोरसिंह बनाम भवंरसिंह वगैरह

19.11.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सुथाना पटवार हल्का अचलपुरा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 24 रकबा 2.42 हैक्टयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 2.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 306 रकबा 3.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.69 हैक्टयर, खसरा नम्बर 71 रकबा 8.79 हैक्टयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 8.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 221 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 4.58 हैक्टयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 1.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.01 हैक्टयर खसरा नम्बर 233 रकबा 2.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 2.18 हैक्टयर खसरा नम्बर 235 / 348 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि आई हुई है। जिसमें अवैध व गैर कानूनी तरिके से हम प्रार्थीगण की बिना सहमति से फर्जी व जाली कुटरचित बंटवाड़ा करवाया गया। जिसका मौके पर अभी तक विधिवत रूप से कोई बंटवाड़ा किया नही गया है। परन्तु राजस्व एजेन्सी ने बिना किसी विधिक अधिकार एवं सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के खाते में बंटवाड़ा कर दिया है। चूंकि तहसीलदार द्वारा बिना उभयपक्ष की सहमति के राजस्व रिकॉर्ड में बंटवाड़े का इन्द्राज किया है जो अपासनीय है एवं अप्रार्थीगण इस आदेश की आड़ में प्रार्थीगण की आराजी पर कब्जा कर रहे है एवं आराजी का बैचान करने पर उतारू है अतः अप्रार्थीगण को मूलवाद ताफैसला तक अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्याय संगत है।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में विधिवत बंटवाड़ा हुआ है राजस्व रेकर्ड के अनुसार ही सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि में कब्जा काश्त करते आ रहे थे जो प्रशासन गांवो के संग 2001 में बंटवाा होने के बाद राजस्व रेकर्ड में भी बंटवाड़ा दर्ज हो गया। जिसके अनुसार नव सर्जित खसरों में अप्रार्थी सबलसिंह की रहवासीय ढाणी बनी हुई है एवं शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसके प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है। तथा कानूनी जटिलताएं एव मुकदमें बाजी होने की कोई संभावना नही है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के तीनो आधारभूत बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष के नही होने से प्रार्थना पत्र मय कोष्ट खारिज फरमावे।

हमनें वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त आराजी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा सुथाना [illegible] चौर के खेत खसरा नम्बर 24 रकबा 2.42 हैक्टयर, ख[illegible] नम्ब[illegible]0 रकबा 2.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 305 रकबा 0.01 हैक्टयर, ख[illegible] नम्बर 306 रकबा 3.59 हैक्टयर, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.69 हैक्[illegible] खसरा नम्बर 71 रकबा 8.79 हैक्टयर, खसरा नम्बर 72 रकबा 8.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

221 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 222 रकबा 4.58 हैक्टयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 1.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.01 हैक्टयर खसरा नम्बर 233 रकबा 2.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 234 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 235 रकबा 2.18 हैक्टयर खसरा नम्बर 235/348 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner